अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **भूमि विवाद अपील वाद संख्या 204 / 2013** राम प्रसाद दास (यादव) —— अपीलार्थीगण वनाम कैलू यादव एवं अन्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स **–:आदेश:–** प्रस्तुत अपील वाद राम प्रसाद दास (यादव) पिता–घोघन दास ग्राम–नरहा, टोला–मल्हाना, जिला– सुपौल द्वारा भूमि विवाद वाद संख्याः 136 / 2012–13 राम प्रसाद दास बनाम कैलू यादव वगैरह में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज, जिला– सुपौल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में कथन किया गया है कि द्वारा उपरोक्त के संबंध में इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में कोई भी वाद दायर नहीं किया गया है। यह कि अपीलार्थी का वाद यह है कि विवादित भूमि ग्रामः– बभनगांवा, थानाः त्रिवेणीगंज, जिलाः सहरसा के खाता संख्याः 309 खेसरा संख्याः 1 रकवाः 2 कट्ठा 11 धूर एवं खाता संख्याः 416 खेसरा संख्याः 3036 रकवाः 01.3 कट्ठा,1 बीघा 8 कट्ठा 1 धूर, खेसरा संख्याः 3217 रकवा 2 कट्ठा 10 धूर अंतर्गत अवस्थित है। उपरोक्त भूमि वर्ष 1923 के भू–बंदोबस्ती एवं 1948 के सेल डीड के द्वारा प्राप्त हुई एवं मालगुजारी भुगतान की जाती रही है।	

यह कि उक्त भूमि का सर्वे भी हो गया एवं उक्त भूमि अपीलार्थी के लगातार स्वामित्व में चली आ रही है।

यह कि भूमि को अमीर गोप के नाम से हासिल किया गया था एवं अमीर गोप उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक स्वामित्व में चले आ रहे थे। अमीरगोप के देहांत के पश्चात् उनके पूत्र एवं पौत्र उक्त भूमि पर स्वामित्व में चले आ रहे हैं। अमीर गोप को एक पुत्र घोघन यादव हुआ एवं घोघन यादव को एक पुत्र रामप्रसाद यादव दास हुआ। राम प्रसाद यादव दास उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक रूप से स्वामित्व में चले आ रहे हैं।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का विवादित भूमि से कोई सरोकार/संबंध नहीं है। अपने दावे के समर्थन में अपीलार्थी के पास कागजात एवं अभिलेख उपलब्ध हैं। अपीलार्थी द्वारा इससे पूर्व खाता संख्याः 309 खेसरा संख्याः 3218 (पुराना), रकवा 1 बीघा 2 कट्ठा 11 धुर एवं खाता संख्याः 416 खेसरा संख्याः 3038 रकवाः 3 कट्ठा, खेसरा संख्याः 3217 रकवाः 2 बीघा 2 कट्ठा 10 धुर की भूमि हेतु विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के समक्ष आवेदन दिया गया था। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा बिना किसी कागजात/अभिलेख के स्थानीय अपराधियों के सहयोग से बेदखल किया गया है। अपीलार्थी ने स्वामित्व/दखल हेतु अनुरोध किया परन्तु विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा कागजात पर गौर किये बिना ही आदेश पारित किया गया एवं आदेश में भूमि की जमाबंदी के संबंध में लिखा गया है जो कि अवैधानिक है।

निम्नलिखित आधार पर अपील अर्जी को स्वीकृत करने हेतु अपीलार्थी द्वारा अनुतोष की मांग की गयी है:–

1. विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि से दृष्किोण से गलत है एवं वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों के सर्वथा विरूद्ध है।

2. विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है।

3. विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधि के सुसंगत प्रावधान पर गौर नहीं किया गया।

4. विज्ञ निम्न न्यायालय ने यांत्रिक रूप से आदेश पारित किया है।

5. विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा विधि के आवश्यक प्रावधानों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है।

6. विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के कागजात एवं अभिलेखों पर विचार नहीं किया गया।

7. विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के अपील पर विचार नहीं किया

गया।

8. विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की बहस एवं कागजात पर विचार नहीं किया गया।

9. विज्ञ निम्न न्यायालय का आदेश तर्कविरूद्ध है एवं निरस्त करने योग्य है।

वाद पुकारा गया । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मौजा बमनगामा खाता संख्या 416, खेसरा –3036, रकबा –03 कट्ठा जमीन प्रथम पक्ष के पूर्वज को निबंधित केबाला द्वारा प्राप्त है, जमाबंदी संख्या –611 कायम है। शेष दावित जमीन बन्दोबस्ती से प्राप्त होने का दावा किया गया है परंतु बन्दोबस्ती परवाना तथा जमीन्दारीं उन्मुलन के समय दाखिल अंतिम भेस्टिंग रिटर्न का साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। साथ ही रूपी गोप के उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए वाद पक्षकार दोष से पीड़ित हो जाता है। एक ही जमीन का उभय पक्ष द्वारा दो अजलग – अलग जमाबन्दी कायम होने का दावा किया गया है । ऐसी परिस्थिति में एक ही जमीन का दोकड़ जमाबंदी संभव नहीं है।

विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है अतएव अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही इस अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा